# आर.टी.यू. का वनस्थली विद्यापीठ एवं सत्काम फाउंडेशन के साथ एमओयू

**कोटा,** (निसं)। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) एवं वनस्थली विद्यापीठ सत्काम फाउंडेशन, बेंगलुरु के बीच दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) सम्पन्न हुआ। सह-जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया की इस एमओयू का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना है। आरटीयू के कुलपति प्रो. एसके सिंह और सत्काम फाउंडेशन की और से नयन जाडेजा एवं श्रीमति दीपमा जाडेजा, वनस्थली विद्यापीठ के प्रोफेसर अंशुमन शास्त्री, निदेशक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ने हस्ताक्षर कर एमओयू का आदान-प्रदान किया।

इस अवसर पर प्रो.डीके पलवललिया- डीन एकेडमिक्स, प्रो. दिनेश बिरला डीन फैकल्टी अफेयर्स, डॉ.वी.के.गोराना डीन (आईआईआई एवं आईआर), डॉ.मनीषा व्यास डीन अप्लाइड साइंस, डॉ.मनीष चतुर्वेदी प्लेसमेंट ऑफिसर, जनसम्पर्क अधिकारी डॉ.एसडी पुरोहित सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और फैकल्टी सदस्य भी उपस्थित थे। इस एमओयू के अंतर्गत, आरटीयू के साथ वनस्थली विद्यापीठ और सत्काम फाउंडेशन संयुक्त रूप से विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे, जो छात्रों के कौशल विकास और रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, उद्योग-अकादमी सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया जाएगा। समझौते के अनुसार, सत्काम फाउंडेशन आरटीयू के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, फाउंडेशन नवीनतम तकनीकी रुझानों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए विशेषज्ञ वार्ताओं और सत्रों का आयोजन भी करेगा।

# डी.आर.एम. ने कोटा-भरतपुर रेल खण्ड पर कार्यों का निरीक्षण किया

**कोटा,** (निसं)। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे मंडल के स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का नियमित अन्तराल पर डीआरएम मनीष तिवारी द्वारा निरीक्षण एवं समीक्षा किया जाता है।

इसी क्रम में 04 सितम्बर को मंडल रेल प्रबंधक कोटा ने कोटा-भरतपुर खण्ड का संरक्षा विन्डो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। जिसमे गाड़ी संचालन से जुड़े सभी संरक्षा मानकों, ट्रैक, ब्रिजों, ओएचई एवं समपार फाटको का अवलोकन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा-भरतपुर खण्ड के सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, श्री महावीरजी एवं हिंडौन सिटी स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यो की प्रगति का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिसमें सवाई माधोपुर 38.86 करोड़, गंगापुर सिटी 24.50 करोड़, श्री महावीरजी 18.70 करोड़ एवं हिंडौन सिटी 18.70 करोड़ की लागत से उक्त स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुर्नविकास कार्यों में तीव्रता एवं गुणवत्ता के साथ नियत समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर के कंट्रोल पैनल का भी निरीक्षण किया एवं स्टेशन पर उपलब्ध संरक्षा अनुदेशों की जाँच कर उनकी अनुपालना सुनिश्चिति के निर्देश दिए। साथ ही डीआरएम ने उक्त खण्ड के नारायणपुर टटवाड़ा एवं पिलोदा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम के साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर संजय यादव, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य) धर्मेन्द्र कस्तवार, वरिष्ठ मंडल विधुत इंजीनियर (टीआरडी) एम.एस.मीना, एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोटा डी.आर.एम. मनीष तिवारी द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया गया।

# मनीष माहेश्वरी ने 61वीं बार एस.डी.पी. डोनेट की

**कोटा,** (निसं)। टीम जीवन दाता द्वारा देर रात भी लोगों की मदद का सिलसिला निरंतर जारी है। रात 2.30 बजे के करीब एक अनजान व्यक्ति के लिए टीम जीवन दाता ने प्रयास कर बी पॉजिटिव एसडीपी उपलब्ध कराई है। टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि भारत विकास परिषद अस्पताल में भर्ती बंसीलाल की प्लेटलेट निरंतर गिर रही थी, चिकित्सकों ने रात को ही एसडीपी चढ़ाए जाने के लिए कहा, किसी ने भुवनेश गुप्ता का नंबर दिया उसके बाद उन्होंने सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले मनीष माहेश्वरी को रात 2.00 बजे के करीब फोन किया। मनीष माहेश्वरी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और वह सीधे अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे। मनीष माहेश्वरी में 61वीं बार एसडीपी डोनेट की। वह इससे पूर्व 30 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर परिजन बेहद खुश नजर आए और कहा कि इस तरह की सेवा का जज्बा कभी देखने को नहीं मिला। इस दौरान मनीष माहेश्वरी का कहना था कि रात को जब भी किसी का कॉल आता है तो स्थिति गंभीर ही होती है। ऐसे में रात को हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए।


## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2024-25/100732 **लोक सूचना** दिनांक : 22.08.2024

श्री RITESH VOHRA पुत्र श्री JHAMAK LAL VOHRA जाति JAIN निवासी H.NO. 2 WARD NO. 27 BAINK COLONY LOKENDRA BHAVAN, RATLAM (M.P.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रोटेदा, लाडपुरा (कोटा) | RITESH VOHARA S/O JHAMAK LAL VOHRA HISSA PURNA CASTE- JAIN, H.NO. 2 BAINK COLONY LOKENDRA BHAWAN COMPOUND RATLAM (M.P.) | 61 WEST | 1800 | 0.18 |
| 2. | रोटेदा, लाडपुरा (कोटा) | RITESH VOHARA S/O JHAMAK LAL VOHRA HISSA PURNA CASTE- JAIN, H.NO. 2 BAINK COLONY LOKENDRA BHAWAN COMPOUND RATLAM (M.P.) | 677/61 EAST | 700 | 0.07 |
| | | | | कुल | 0.25 |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90&A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.08.2024 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**


# 10.89 करोड़ का राजस्व अर्जित

**कोटा,** (निसं)। मंडल के वाणिज्य विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के पाँच माह अप्रैल एवं अगस्त में टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले एवं बिना बुक गये सामान सहित कुल 1,76,832 मामलों से 10.89 करोड़ रुपये अर्जित किये। जिसमे बिना टिकट के 73,611 मामले, अनुचित टिकट के 1,03,035 मामले एवं 186 बिना बुक गये सामान के मामलें शामिल है। जबकि केवल अगस्त माह में टिकट चैकिंग अभियान के दौरान बिना टिकट के 12,499 मामलें, अनुचित टिकट के 12,834 मामलें एवं 13 बिना बुक गये सामान के मामलें पकड़े गए जिससे कोटा मंडल को केवल अगस्त में 25,346 मामलों से कुल 1.45 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इससे कोटा रेल मंडल के आय में बढ़ोत्तरी हुई। जो कि वाणिज्य विभाग के टिकट चैकिंग कर्मचारियों द्वारा किया गया सराहनीय कार्य हैं। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक ने यात्रियों से अपील की है कि उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

# 'शहर की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं बिल्डर के विज्ञापन कियोस्क'

**कोटा,** (निसं)। खूबसूरती प्रदान करने के लिए गत कांग्रेस सरकार के दौरान सड़कों पर विभिन्न सौंदर्यकरण के कार्य किए गए थे। इन्हीं कार्यों के अंतर्गत शहर की सड़कों पर आकर्षक लाईट्स भी लगाई गई थी। यह निर्णय भी लिया गया था कि इस खूबसूरती पर कोई दाग न लगे इसलिए शहर के विद्युत खंबो और सजावटी लाईटों पर कोई विज्ञापन नहीं लगाए जाएंगे।

इस कारण से इस कारण पिछले दो सालों से सेंट्रल पल कियोस्क का कोई टेंडर भी नगर निगम नहीं निकल पाया है। इस कारण नगर निगम को हर साल लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके चलते नगर निगम को हर साल करीब 60 लख रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नगर निगम और केडीए इस नियम की पालना तो कर रहे हैं लेकिन इसकी आड़ में अब शहर के नाम ही बिल्डर अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं।

बिल्डर के द्वारा विद्युत पोल्स और सजावटी लाईटों पर विज्ञापन के कियोस्क लगा दिए गए हैं। इस कारण से शहर की सड़कों और सजावटी लाईटों की खूबसूरती खत्म सी हो गई है। नगर निगम के द्वारा नगर निगम के द्वारा हर साल करीब 60 लाख का सेंट्रल पल कियोस्क का टेंडर किया जाता था। वैसे नगर निगम समय-समय पर इस तरीके के अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए कार्यवाही करता रहता है लेकिन जिस तरीके से बिल्डर के विज्ञापन सड़कों पर नजर आ रहे हैं उसके बाद निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं।

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर नगर निगम में कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि मामले को दिखाकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर नगर निगम महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि वे इस मामले को दिखाकर सर्वे करवाया जाएगा और तुरंत प्रभाव से विज्ञापन कियोस्क हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

शहर की सड़कों पर लगे विद्युत पोल्स पर बिल्डर ने विज्ञापन कियोस्क लगा रखे हैं।

- केडीए और निगम की नहीं है स्वीकृति, फिर भी लगाए जा रहे हैं विज्ञापन कियोस्क

# प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

**कोटा,** (निसं)। कोटा जिले के दीगोद क्षेत्र में नवीन राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। फार्म भरने की अंतिम तिथि 14 सितंबर तक है। इच्छुक छात्र बी. ए. पार्ट प्रथम में प्रवेश आफलाईन के माध्यम से कर सकेंगे। कालेज के नोडल प्राचार्य प्रोफेसर रोशन भारती ने बताया कि छात्र आयुक्तालय की वेबसाईट से फार्म डाउनलोड कर राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के जी.आई.एस.लैब कमरा नंबर 4 में जमा करायेंगे। राजकीय महाविद्यालय दीगोद ( नवीन ) में आयुक्तालय द्वारा 7 विषयों-हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास का आवंटन किया गया है।


## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2024-25/100767 **लोक सूचना** दि.04.09.2024

श्रीमति BIMLA DEVI पत्नि श्री RAM GOPAL SUMAN जाति SUMAN निवासी BABU KIRANA STORE KE SAMNE WALI GALI RAIPURA UDYOG PURI KOTA श्री RAM GOPAL SUMAN पुत्र श्री RATAN LAL SUMAN जाति SUMAN निवासी RAIPURA NAKA DCM ROAD RAIPURA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रायपुरा, लाडपुरा (कोटा) | 1. RAM GOPAL SUMAN S/O RATAN LAL, 2. BIMLA DEVI W/O RAM GOPAL | 186 | 3500 | 0.35 |
| | | | | कुल | 0.35 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04/09/2024 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

## कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2233 **विज्ञप्ति** दिनांकः-04.09.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना रिद्धी सिद्धी नगर भूखंड संख्या बी-153 खसरा नं. 292, 294, 507/291 आवेदक/आवेदिका श्री गौरव पुरी पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार पुरी निवासी 1-ख-13 विज्ञान नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 2830 दिनांक 15.12.2003 को श्री नीरज सुवालका पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद सुवालका के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2009 को श्रीमती निर्मल पुरी पत्नी स्व. श्री एस.के. पुरी को किया गया। जिसका नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 2797-98 दिनांक 18.01.2010 को जारी किया गया। श्रीमती निर्मल पुरी की मृत्यु दिनांक 22.04.2021 एवं पति सुशील कुमार पुरी की मृत्यु दिनांक 17.11.2004 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पुत्र गौरव पुरी, सौरभ पुरी है। वारिसान सौरभ पुरी द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 30.07.2024 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री गौरव पुरी पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार पुरी के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

## खोया-पाया

अयूब खान पुत्र युसूफ खान मकान नं. 6-F-19 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, भौतिक कब्जा पत्र गुम हो गए है, किसी को मिलने पर सूचित करें।

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मिथिलेश बेरागी पुत्री श्री प्रभुलाल निवासी ग्राम नीमकाखेड़ा जिला बून्दी के द्वारा अपनी मिल्कियत सम्पत्ति मकान संख्या 19-डी, न्यू कॉलोनी बून्दी पैमाइश 1250 वर्गफुट पर निर्माण हेतु ऋण चाहने हेतु मेरे पक्षकार एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है एवं जाहिर किया है कि उक्त सम्पत्ति से संबंधित पूर्व में निस्पादित लीज डीड पंजीकृत दिनांक 12.01.83 व विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 30.01.2006 की मूल प्रतियां गुम हो गई है और काफी तलास करने पर भी नही मिल रही है। अतएव इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को उक्त मूल दस्तावेजात के अभाव में आवेदक को ऋण दिये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 योम की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित हो।

भवदीय
संदीप जैन, एडवोकेट
583-ए तलवण्डी, कोटा
मो.9829180432

## कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2247 **विज्ञप्ति** दिनांकः-04.09.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना फ्रेण्डस कालोनी भूखंड संख्या 97 खसरा नं. 155 आवेदक/आवेदिका श्री अनूप सक्सेना पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना एवं अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना निवासी बी 3-101 महालक्ष्मी एनक्लेव सिंघानिया स्कूल के पास मानपुरा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 10410 दिनांक 05.10.2011 को श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना पुत्र श्री रंगीलाल सक्सेना के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु दिनांक 22.08.2012 एवं पत्नी पुष्पा सक्सेना की मृत्यु दिनांक 31.03.2006 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पुत्र अनूप सक्सेना, पुत्री अलका सक्सेना है।

अतः अनूप सक्सेना पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना एवं अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

## कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2246 **विज्ञप्ति** दिनांकः-04.09.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना फ्रेण्डस कालोनी भूखंड संख्या 98 खसरा नं. 155 आवेदक/आवेदिका श्री अनूप सक्सेना पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना एवं अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना निवासी बी 3-101 महालक्ष्मी एनक्लेव सिंघानिया स्कूल के पास मानपुरा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 10411 दिनांक 05.10.2011 को श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना पुत्र श्री रंगीलाल सक्सेना के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु दिनांक 22.08.2012 एवं पत्नी पुष्पा सक्सेना की मृत्यु दिनांक 31.03.2006 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पुत्र अनूप सक्सेना, पुत्री अलका सक्सेना है।

अतः अनूप सक्सेना पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना एवं अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री कृष्ण गोपाल सक्सेना के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2024/1679 दिनांकः-04.09.24

**नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना**

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना मुकुन्दरा विहार स्पेशल भूखंड संख्या 895 का आवंटन क्रमांक 532 दिनांक 16.11.2021 को श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भँवर लाल शर्मा के नाम आवंटन किया गया था। जिसके उपरांत क्रेता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भँवर लाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 22.12.2022 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भँवर लाल शर्मा के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं नाबालिग सूर्याश खांडल पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा जरियेवली माता श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उक्त भूखंड संख्या 895 मुकुन्दरा विहार स्पेशल अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 895 मुकुन्दरा विहार स्पेशल का नामहस्तान्तरण श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं नाबालिग सूर्याश खांडल पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा जरियेवली माता श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-357 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-4.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीनाथपुरम-ए आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 121 कार्नर का हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 08.02.2011 को श्रीमती बसंती बाई पत्नी श्री परशुराम नागर व श्री घनश्याम नागर एवं श्री नरेश नागर पुत्र श्री परशुराम नागर को हस्तान्तरण किया गया था। संयुक्त आवंटी श्रीमती बसंती बाई की मृत्यु दिनांक 22.05.21 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत हक त्याग पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड श्री नरेश नागर पुत्र श्री परशुराम नागर के पक्ष में किया गया है। हक त्याग पत्र ग्रहिता श्री नरेश नागर द्वारा उक्त भूखंड जर्ये दानपत्र दिनांक 13.06.2013 को श्री राधेश्याम नागर एवं श्री घनश्याम नागर पुत्र श्री परशुराम नागर के नाम दान कर दिया गया है। अतः दान ग्रहिता द्वारा उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 121 कार्नर योजना श्रीनाथपुरम-ए आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री राधेश्याम नागर एवं श्री घनश्याम नागर पुत्र श्री परशुराम नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-890 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-4.9.24

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या 1472 योजना सुभाष नगर आवासीय में आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 18.04.1991 को श्री अशोक कुमार पाटनी पुत्र श्री मोतीलाल के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री अशोक कुमार पाटनी की मृत्यु दिनांक 14.03.2021 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती सुलोचना पाटनी पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार पाटनी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान शपथ पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, आई.डी. पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1472 योजना सुभाष नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सुलोचना पाटनी पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार पाटनी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा


# मादक पदार्थ गांजा तस्करी के आरोपियों को कठोर कारावास, जुर्माना

**कोटा,** (निसं)। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपीयों को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 50000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 8 जनवरी 2017 को थाना महावीर नगर कोटा शहर के थानाधिकारी ने दौराने नाकाबंदी एक कार आरजे 14 सीएच 1241 को डिटेन किया। जिसमें चालक के पास वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति की जांघों के ऊपर एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था। पूछताछ करने पर चालक के बगल वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश उर्फ छोटेलाल पुत्र नेनू राम निवासी केशवपुरा सेक्टर 6 थाना महावीर नगर कोटा का होना होता है तथा चालक ने अपना नाम गौरव उर्फ गोलू पुत्र रघुनंदन निवासी अजय आहूजा नगर उड़िया बस्ती थाना अनन्तपुरा कोटा का होना बताया। डिटेनशुदा शख्सों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 4 किलोग्राम बरामद कर जप्त किया। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात दिनेश उर्फ छोटेलाल और गौरव उर्फ गोलू के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में तथा अभियुक्त बृजमोहन सैनी के विरुद्ध धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 12 गवाह लेखबद्ध करवाएं और कुल 49 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं गए।

# खाद्य सुरक्षा टीम ने कुकिंग मिडियम का एक नमूना माल सीज किया

**कोटा,** (निसं)। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने बुधवार को बालिता रोड पर विजय ट्रेडिंग कम्पनी पर छापा मारा। यहां 20 कार्टन (प्रत्येक कार्टन में एक लीटर के 12 नग) 10 कार्टन (प्रत्येक कार्टन में 500 एमएल वाले 24 नग) कुकिंग मिडियम (दक्ष ब्रांड) रखा हुआ था। इसे विभिन्न तेलों से मिलाकर बनाया हुआ था। विक्रेता ने इसे दिल्ली की फर्म मैसर्स भारत फूड प्रोडक्ट्स से खरीदना और बाजार में लगभग 200 रु प्रति लीटर के भाव से बेचना बताया। मिलावट के संदेह पर यहां से एक नमूना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत लिया जाकर 30 कार्टन में रखे एक लीटर वाले 240 डिब्बे एंव आधा लीटर वाले 240 डिब्बों में रखा कुल 360 लीटर माल सीज किया है। लिए गए नमूनों को खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला कोटा में भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।


## कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर ( राज. )

क्रमांकः-ननिको/को.उ./राजस्व/2024/182-83 दिनांकः-4.9.2024

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री उदा लाल पुत्र श्री हजारी लाल निवासी कैलाशपुरी चतरगंज बूंदी द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार म.नं. 2 पार्श्वनाथ सिटी नान्ता कोटा की अनुमति चाही गयी है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अप